पत्र सं०–5/पी०(नई यो०)–19/2025– 46(5)/स्वा०, स्वा०,

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक– 24/11/2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजनान्तर्गत सदर अस्पताल, राँची में Bone Marrow Stem Cell Transplant Unit के अधिष्ठापन हेतु कुल 6,45,00,000/–(छः करोड़ पैंतालीस लाख) रुपए मात्र की लागत पर योजना की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सिविल सर्जन, राँची के पत्रांक–2261 दिनांक–09.06.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजनान्तर्गत सदर अस्पताल, राँची में Bone Marrow Stem Cell Transplant Unit के अधिष्ठापन हेतु कुल 6,45,00,000/–(छः करोड़ पैंतालीस लाख) रुपए मात्र की लागत पर योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. सदर अस्पताल, राँची की क्लीनिकल हेमेटालॉजी यूनिट हर साल एक्यूट ल्यूकेमिया और लिम्फोमा से पीड़ित लगभग 100–150 बच्चों एवं वयस्कों का ईलाज कर रही है। पिछले दो वर्षों से हेमेटॉलिम्फाइड कैंसर से पीड़ित लगभग 150–200 नए रोगियों के ईलाज के लिए नामांकित किया गया है। इन बच्चों में 50–60% और वयस्कों में 30% की दर से ईलाज की उम्मीद है। लगभग 15–20 प्रतिशत बच्चे बीमारी की पुनरावृति से पीड़ित होते हैं, जिन्हें स्टेम सेल प्रत्यारोपण जैसी उन्नत चिकित्सा से लाभ प्राप्त हो सकेगा।

3. झारखण्ड में थेलेसेमिया और अन्य हीमोग्लोबिनोमैथी का प्रसार बहुत ज्यादा है और ऐसे में मरीजों और बच्चों के लिए एकमात्र ईलाज Bone Marrow Stem Cell Transplant (BMT) है।

4. सदर अस्पताल, राँची में Bone Marrow Stem Cell Transplant Unit के अधिष्ठापन से थेलेसिमिया, ब्लड कैंसर, ए–प्लास्टिक एनेमिया, लिम्फोमा एवं अन्य रक्त से संबंधित बीमारियों का ईलाज संभव हो पाएगा, जिससे पीड़ित मरीजों को लाभ मिल सकेगा।

5. राज्य को उन्नत उपचार और निदान में सहायता के लिए एक आवश्यक घटक के रूप में पूर्ण विकसित अनुवांशिक विभाग के साथ हीमेटालॉजी विभाग की स्थापना की आवश्यकता है।

6. सदर अस्पताल, राँची में Bone Marrow Stem Cell Transplant Unit के अधिष्ठापन से बड़ी संख्या में मरीजों का उच्च स्तरीय आवश्यक देखभाल हो पाएगा।

(अजय कुमार सिंह)	(ललित मोहन शुक्ला) 20/11/2025	(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव	संयुक्त सचिव	अपर मुख्य सचिव

7. Bone Marrow Stem Cell Transplant Unit के अधिष्ठापन एवं इसके एक वर्ष के संचालन पर होने वाले अनुमानित व्यय निम्नवत् हैः—

SL.No.	Particulars	Cost (in Rs.)
1	Floor Renovation & Building Infrastructure	3,00,00,000
2	Equipments	2,00,00,000
3	Consumables	1,00,00,000
4	Staff Salary	45,00,000 (आयुष्मान भारत–मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना)
	Grand Total	**6,45,00,000**

8. उक्त इकाई के संचालन पर आवश्यक मानव संसाधन की व्यवस्था आयुष्मान भारत–मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अधीन उपार्जित राशि से किया जाएगा।

9. योजना के अन्य मदों पर होने वाले व्यय का विकलन राज्य योजनान्तर्गत निम्नलिखित बजटशीर्षों के अधीन उपबंधित राशि से किया जायेगा :–

क्र०	मद	बजटशीर्ष	राशि
1	Equipments & Consumables	मुख्यशीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ– 110–अस्पताल तथा औषधालय (796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना सहित)–71– जिला स्तरो पर स्वास्थ्य सुविधाओं स्वास्थ्य संबंधी संस्थानों, कार्यालयों (मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर) के लिए मशीन उपकरण, उपस्कर का क्रय एवं सामग्रियों की आपूर्ति–03–प्रशासनिक व्यय–36–चिकित्सकीय आपूर्ति (विपत्र कोड–20 एस 2210–01–110(796 सहित)–71–00–03–36)	3,00,00,000
2	Floor Renovation & Building Infrastructure	मुख्यशीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पुँजीगत परिव्यय–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय (796 –जनजातीय क्षेत्र उपयोजना सहित) -48–जिला स्तरों पर राज्य स्वास्थ्य का आधारभूत संरचना का विस्तार, उत्क्रमण–01 जिला स्तर पर विभिन्न अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों/संस्थानों का भवन निर्माण, मशीन उपकरण एवं उपस्कर सहित–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य (विपत्र कोड 20एस 4210–01–110(796 सहित)–48–01–05–45)	3,00,00,000

10. यह एक नई योजना है। अतएव मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना सं०–1269 दिनांक–21.09.2023 की कंडिका–1.1 के आलोक में यह स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

11. इस स्वीकृत राशि का आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जाएगा।

12. आवंटित की जाने वाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, राँची होंगे।

13. इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी Equipments & Consumables के लिए आवंटित राशि की निकासी प्राप्त विपत्र के विरुद्ध करेंगे।

(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

15. उक्त इकाई के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना से संबंधित कार्यों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाली राशि को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, राँची डिपोजिट कार्य हेतु कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल संख्या–01, राँची को पुस्तांतरण द्वारा रेमिटेन्स शीर्ष–8782, स्थानीय जमा निधि–102 में चालान के माध्यम से राशि जमा करेंगे।

16. राशि की निकासी राँची कोषागार, राँची से होगी।

17. सिविल सर्जन, राँची द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी अनुपयोगी मशीन–उपकरण, उपस्कर एवं सामग्री का अनावश्यक क्रय नहीं हो।

18. सिविल सर्जन, राँची द्वारा क्रय किए गए मशीन उपकरण, उपस्कर, आदि के संचालन, सुरक्षा एवं रख–रखाव की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जिस क्रम में संस्थान में उपलब्ध तकनीकी मानवबल का सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त अतिरिक्त तकनीकी मानवबल से सेवाएँ विधिवत् प्राप्त की जाएँगी।

19. क्रय के फलस्वरुप आपूरित मशीन उपकरण, उपस्कर एवं सामग्रियों की उचित प्रविष्टि संबंधित (विहित) पंजी में सिविल सर्जन, राँची द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

20. आधारभूत संरचना से संबंधित कार्यों का कार्यान्वयन झारखण्ड पी०डब्ल्यू०डी० कोड के सुसंगत नियमों के अनुरुप सक्षम प्राधिकार द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन के आधार पर कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल संख्या–1, राँची के माध्यम से कराना सुनिश्चित किया जाएगा। योजना कार्यान्वियन में किसी प्रकार के अनियमितता बरतने की स्थिति में संबंधित अभियंता/पदाधिकारी पूर्णरूपेण जिम्मेवार होंगे।

21. व्यय किसी भी परिस्थिति में प्रशासनिक स्वीकृत राशि के अन्तर्गत किया जाएगा तथा योजना कार्य एकरारनामा में उल्लेखित अवधि के अन्दर पूर्ण किया जाएगा। एकरारनामा मानक शर्त्तो पर आधारित होगा तथा निविदा/एकरारनामा शर्त्तो में किसी प्रकार का उल्लंघन किए जाने पर त्वरित कार्रवाई की जायगी। दायित्त्वों का सृजन बिना सरकारी आदेश प्राप्त किए नहीं किया जाएगा।

22. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

23. पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों द्वारा नियमित रूप से कार्य का स्थल निरीक्षण किया जाएगा एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति कार्य स्थल एवं मुख्यालय में रखी जाएगी।

24. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रुप से महालेखाकार, झारखण्ड के साथ निश्चित रुप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

25. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार एवं विभाग को प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

(अजय कुमार सिंह) अवर सचिव	20/11/2025 (ललित मोहन शुक्ला) संयुक्त सचिव	(अजय कुमार सिंह) अपर मुख्य सचिव

46(5)स्वा०
24/11/2025

26. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

27. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– 46(5)2070 रॉंची, दिनांक– 24/11/25

प्रतिलिपिः

1. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, रॉंची।
2. सभी उपायुक्त, झारखण्ड।
3. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, रॉंची।
4. सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, रॉंची।
5. सभी सिविल सर्जन, झारखण्ड।
6. कोषागार पदाधिकारी, रॉंची कोषागार, रॉंची।
7. माननीय मंत्री के आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, रॉंची।
8. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह) अवर सचिव	(ललित मोहन शुक्ला) 20/XI/2025 संयुक्त सचिव	(अजय कुमार सिंह) अपर मुख्य सचिव

46(5)2070
24/11/25